

परामर्श

हॉर्टिनेट ट्रेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आम के फार्म/बागों का पंजीकरण

संदर्भ सं.: एफएफवी-2014-15-000015

दिनांक: 29.11.2017

प्रिय सभी आम निर्यातक व हितधारक,

आप सभी इस बात से अवगत हैं कि आम निर्यात सीज़न आने वाला है और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, मॉरीशस आदि जैसे देश संबंधित देशों में निर्यात करने से पहले एपीडा द्वारा बनाए गए पंजीकृत बागों की सूची की मांग कर रहे हैं।

इस संबंध में, एपीडा राज्य सरकारों को उन इच्छुक किसानों के आम के बागों को पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान कर रहा है जो निर्यात के लिए आम का उत्पादन और आपूर्ति करना चाहते हैं।

इसलिए, आम निर्यातक जो उपरोक्त देशों को अपनी उपज का निर्यात करने के इच्छुक हैं, उन्हें एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे उन बागों को पंजीकृत/नवीनीकृत करवाएं जहां से वे आगे की प्रक्रिया और संगरोध पोस्ट हार्वेस्ट शमन उपायों/उपचार और निजी सुविधाओं के लिए आम तौर पर कच्चे आमों को प्राप्त करना चाहते हैं।

इच्छुक निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे एपीडा की हॉर्टिनेट ट्रेसिबिलिटी सिस्टम के

अंतर्गत संबंधित राज्य बागवानी/कृषि विभाग के माध्यम से अपने आम के खेतों/बागों को पंजीकृत/नवीनीकृत करें।

आम के बाग/फार्म के लिए पंजीकरण/नवीनीकरण दिनांक 28 नवंबर 2017 से 28 फरवरी, 2018 तक खुला है।

भवदीय,

(डॉ. सुधांशु)

उप महाप्रबंधक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 29.11.2017